संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–28.04.2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भवन निर्माण विभाग के द्वारा निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन के प्रगति की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल हुए :–

1. सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।
2. सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के क्रम में भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रतिवेदित समस्याग्रस्त भूमि की जिलावार समीक्षा की गयी। उक्त समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के द्वारा अपने–अपने जिलान्तर्गत निराकरण कराये गये समस्याओं की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया, जो निम्नवत् है :–

क्र०सं०	जिला का नाम	समस्याग्रस्त भूमि की कुल संख्या	निराकरण किये गए भूमि की संख्या	लंबित
01	सारण	17	00	17
02	पूर्वी चम्पारण	14	05	09
03	भागलपुर	07	03	04
04	कटिहार	19	09	10
05	दरभंगा	18	01	17
06	सीतामढ़ी	09	00	09
07	वैशाली	07	00	07
08	सिवान	20	10	10
09	सहरसा	07	00	07
10	मुंगेर	01	00	01
11	बक्सर	10	06	04
12	गया	05	04	01
13	मुजफ्फरपुर	09	00	09
14	पूर्णियां	03	00	03
15	किशनगंज	04	02	02
16	पश्चिम चम्पारण	03	01	02
17	जमुई	03	00	03
18	रोहतास	04	02	02
19	जहानाबाद	03	02	01
20	बेगूसराय	00	00	00
21	कैमूर	04	03	01
22	मधुबनी	03	02	01
23	गोपालगंज	02	00	02
24	नवादा	03	03	00
25	अरवल	02	01	01
26	समस्तीपुर	02	00	02

कृ०पृ०उ०...........

27	लखीसराय	03	02	01
28	भोजपुर	01	00	01
29	नालंदा	01	01	00
30	औरंगाबाद	02	02	00
31	मधेपुरा	03	00	03
32	खगड़िया	01	00	01
33	शेखपुरा	00	00	00
34	बांका	01	00	01
35	पटना	13	02	11
36	अररिया	10	03	07
37	सुपौल	01	01	00
38	शिवहर	01	01	00

उपरोक्त स्थलीय समस्याओं के निराकरण हेतु संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को निम्नवत् निदेश दिया गया :–

3. जिन भूमि पर जमाबंदी रद्दीकरण से संबंधित समस्याऐं विद्यमान है। उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता से समन्वय स्थापित कर जल्द से जल्द जमाबंदी रद्दीकरण वाद का निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. उप विकास आयुक्त प्रत्येक सप्ताह जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, अंचल अधिकारी के साथ इसकी समीक्षा कर निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–4176 दिनांक–20.03.2025 के माध्यम से भी सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को निदेशित किया गया है।

5. समस्याग्रस्त भूमि की सूची जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्रखंड हेतु नामित वरीय उप समाहर्त्ता को उपलब्ध करायेंगे। वरीय उप समाहर्त्ता अपने साप्ताहिक भ्रमण में प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के साथ इसकी समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे।

अंत में धन्यवाद देकर बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 9प० / प्र०–08–802(खण्ड) / 2016 / 5828 / पं०रा० पटना, दिनांक 07 / 5 / 2025
प्रतिलिपि :–सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

लगातार...........

ज्ञापांक :– 9प० / प्र०–08–802(खण्ड) / 2016 / 5928 / पं०रा० पटना, दिनांक 07 / 5 / 2025
प्रतिलिपि :–अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 9प० / प्र०–08–802(खण्ड) / 2016 / 5928 / पं०रा० पटना, दिनांक 07 / 5 / 2025
प्रतिलिपि :–मुख्य सचिव / विकास आयुक्त, बिहार की सेवा में सादर समर्पित।

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 9प० / प्र०–08–802(खण्ड) / 2016 / 5928 / पं०रा० पटना, दिनांक 07 / 5 / 2025
प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 9प० / प्र०–08–802(खण्ड) / 2016 / 5928 / पं०रा० पटना, दिनांक 07 / 5 / 2025
प्रतिलिपि:– आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव